छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल

ऑफिस कॉम्प्लेक्स प्रथम तल ब्लॉक–A एकात्म पथ, सेक्टर–24, अटल नगर, नवा रायपुर (छ0ग0)
ईमेल– secretaryboc@gmail.com, phone No. 0771-2971063

//अधिसूचना//

नवा रायपुर अटल नगर ,दिनांक 31/08/2023

कमांक/98/04/योजना/बीओसी/2023/151 "भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा–शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996" सहपठित "छत्तीसगढ़ भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा–शर्तो का विनियमन) नियम 2008" के नियम 277 तथा 279 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन, एतद् द्वारा छ0ग0 भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के हितग्राहियों के लिए निम्नानुसार नवीन योजना **"मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन सहायता योजना"** बनाती है :–

(क) योजना का नाम :–

योजना का नाम **"मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन सहायता योजना"** होगा।

(ख) योजना का उद्देश्य :–

छ0ग0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल अधिनियम 1996 के अंतर्गत **हितग्राही** के रूप में पंजीकृत ऐसे निर्माण श्रमिकों, जिनकी आयु 60 वर्ष पूर्ण हो गई हो और 10 वर्ष से मंडल में निर्माण श्रमिक के रूप में पंजीकृत सदस्य रहे हों उन्हें एक निश्चित धनराशि पेंशन के रूप में उपलब्ध कराया जाना है। उल्लेखनीय है कि सामान्य रूप से निर्माण श्रमिक शारीरिक दक्षता से अपनी रोजी रोटी कमाते हैं और बढ़ती उम्र के उपरान्त उनकी शारीरिक क्षमता में कमी आने लगती है, परिणामस्वरूप उनकी अर्जन क्षमता भी कम हो जाती है। इस कारण उन्हें प्रत्येक दिन कार्य भी उपलब्ध नहीं हो पाने के कारण हितग्राही की नियमित आय में हो रही क्षति की प्रतिपूर्ति करने तथा उसकी आजीविका के सुगम संचालन की दृष्टि से इस योजना की संकल्पना की गयी है।

(ग) योजना का प्रावधान :–

1. योजना के अंतर्गत अधिनियम की धारा 12 के अंतर्गत पंजीकृत निर्माण श्रमिक जो 60 वर्ष आयु पूर्ण कर लिये हो पात्र होंगे।
2. कण्डिका (ख) में उल्लेखित योजना के उद्देश्य अनुसार मंडल में 10 वर्षों से हिताधिकारी के रूप में पंजीबद्ध हो।
3. यदि हितग्राही की मृत्यु हो जाती है तो, उक्त परिस्थिति में इसकी जानकारी परिवार के सदस्यों द्वारा संबंधित जिले के मैदानी जिला श्रम कार्यालय को देना अनिवार्य होगा।

निरंतर.........2

4. यदि हितग्राही की मृत्यु हो जाती है और जानकारी के अभाव में पेंशन की अगली किश्त का भुगतान हो जाता है तो उसके बैंक पास बुक में उल्लेखित नॉमिनी से वसूली की वैधानिक कार्यवाही करते हुए उक्त राशि की वसूली की जावेगी।
5. हितग्राही की मृत्यु की दशा में पति/पत्नी को 50 प्रतिशत पेंशन देय होगा, जिसे पारिवारिक पेंशन के नाम से जाना जायेगा।

(घ) योजना हेतु पात्रता :-

1. यदि कोई श्रमिक राज्य/केन्द्र शासन के समानांतर किसी अन्य योजना से लाभ प्राप्त कर रहा है, तो उसे इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
2. मंडल अंतर्गत ऐसे पंजीकृत निर्माण श्रमिक जिन्होंने मंडल में संचालित मुख्यमंत्री सियान सहायता योजना का लाभ प्राप्त किया हो, वे इस योजना हेतु अपात्र होंगे।
3. सहायता राशि जारी रखने के लिए हितग्राही को प्रत्येक वर्ष माह-मार्च (1 मार्च से 31 मार्च तक) में जीवित रहने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।(राजपत्रित अधिकारी/सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी /सहायक श्रम पदाधिकारी/श्रम निरीक्षक/श्रम उपनिरीक्षक द्वारा जारी प्रमाण पत्र)
4. 60 वर्ष की आयु पूर्ण होने के पश्चात् पेंशन के लिए आवेदन करते समय हितग्राही छत्तीसगढ़ में स्थायी रूप से निवासरत हो।
5. यदि पति/पत्नी दोनों पंजीकृत श्रमिक है और दोनो मंडल अंतर्गत संचालित पेंशन योजना का लाभ प्राप्त कर रहे हैं तो एक की मृत्यु के पश्चात् दूसरे को मात्र अपनी पेंशन का लाभ देय होगा।(पारिवारिक पेंशन योजना का लाभ आश्रित को देय नहीं होगा।)
6. यदि पति/पत्नी दोनों मंडल अंतर्गत पंजीकृत श्रमिक है, मंडल की सदस्यता समाप्त होने उपरांत यदि पति पेंशन योजना का लाभ ले रहा है और इस दौरान पति की मृत्यु हो जाती है तथा पत्नी की आयु 60 वर्ष से कम है तो 60 आयु वर्ष पूर्ण होने तक निर्माण श्रमिक की पत्नी पारिवारिक पेंशन की हकदार होगी एवं 60 वर्ष पश्चात् पत्नी द्वारा पेंशन योजना अंतर्गत आवेदन प्रस्तुत किए जाने पर पारिवारिक पेंशन स्वमेव समाप्त हो जावेगी।
7. योजनांतर्गत हितग्राही 59 वर्ष 03 माह से 60 वर्ष की आयु समाप्ति दिनांक से 06 माह तक आवेदन प्रस्तुत कर सकेगा। तथा जिस माह प्रथम पेंशन राशि का भुगतान किया जावेगा उस माह जीवित प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा।

(ड.) योजना में देय हितलाभ :-

1. योजना अंतर्गत पात्र हितग्राहियों को **प्रतिमाह राशि रू 1,500/- (अक्षरी पंन्द्रह सौ रू मात्र)** सहायता राशि देय होगी।

निरंतर...3

2. हितग्राहियों को प्रतिमाह देय पेंशन की राशि छ0ग0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के निर्णय अनुसार शासन से प्राप्त स्वीकृति अनुसार घटाया/बढ़ाया जा सकता है।
3. मंडल अंतर्गत पेंशनर पति की मृत्यु होने पर पत्नी को एवं पेंशनर पत्नी की मृत्यु होने पर पति को पेंशन राशि का 50 प्रतिशत **(प्रतिमाह राशि रू 750/– अक्षरी–सात सौ पचास रू मात्र)** पारिवारिक पेंशन के रूप में देय होगा।
4. यदि हितग्राही की मृत्यु हो जाती है तो पारिवारिक पेंशन के रूप में केवल उसके पति/पत्नी को पेंशन की धनराशि तभी स्वीकृत कि जावेगी जब वह कण्डिका (घ) के बिन्दु क्रमांक (1) में उल्लेखित पात्रता को पूर्ण करता हो।

(च.) योजना हेतु आवेदन की प्रक्रिया :–

1. योजना के अंतर्गत पंजीकृत निर्माण श्रमिक स्वयं विभागीय वेब पोर्टल cglabour.nic.in/श्रमेव जयते मोबाईल एप/किसी भी च्वाईस सेंटर अथवा संबंधित क्षेत्राधिकारिता के श्रम कार्यालय/विकासखण्ड अंतर्गत मुख्यमंत्री श्रम संसाधन केन्द्र के माध्यम से ऑनलाईन आवेदन प्रस्तुत कर सकता है।
2. **योजना के तहत् ऑनलाईन आवेदन करते समय आवेदन के साथ संलग्न किये जाने वाले आवश्यक दस्तावेज :–**
   - 2.1 हितग्राही के जीवित श्रमिक पंजीयन प्रमाण पत्र की मूल स्कैन प्रति।
   - 2.2 पति एवं पत्नी का साथ में लाईव फोटो।**(यदि पति/पत्नी की मृत्यु हो जाती है तो किसी भी जीवित व्यक्ति का फोटो)**
   - 2.3 पारिवारिक पेंशन हेतु संबंधित मृतक हितग्राही का मृत्यु प्रमाण पत्र।
   - 2.4 हितग्राही के आधार कार्ड की मूल स्कैन प्रति।
   - 2.5 हितग्राही के बैंक पास बुक की मूल स्कैन प्रति।
   - 2.6 सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जीवित प्रमाण पत्र।(राजपत्रित अधिकारी/सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी/सहायक श्रम पदाधिकारी/श्रम निरीक्षक/श्रम उपनिरीक्षक द्वारा जारी प्रमाण पत्र)
   - 2.7 पंजीकरण के समय आयु के प्रमाण के संबंध में प्रस्तुत किए गए दस्तावेज की मूल स्कैन प्रति।
   - 2.8 योजना के प्रावधान अनुरूप अधिसूचित प्रपत्र में जारी स्व–घोषणा प्रमाण पत्र की मूल स्कैन प्रति।
   - 2.9 ऑनलाईन आवेदन के साथ केवल मूल दस्तावेज ही स्कैन कर ऑनलाईन अपलोड किया जाना अनिवार्य होगा।
3. पेंशन एवं पारिवारिक पेंशन का आवेदन का प्रारूप छ0ग0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल द्वारा पृथक से निर्धारित किया जावेगा।

(छ) आवेदन प्रकरणों का निराकरण :–

1. योजना अंतर्गत प्राप्त आवेदनों का निराकरण 45 कार्य दिवस के भीतर किया जाना अनिवार्य होगा। यदि आवेदन तकनीकी तौर पर अस्वीकृत किया जाता है

निरंतर..4

तो आवेदक 30 दिवस के भीतर ऑफलाईन के माध्यम से संपूर्ण आवश्यक दस्तावेजों सहित आवेदन सचिव, छ0ग0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल मुख्यालय के समक्ष अपील प्रस्तुत कर सकेगा।

2. छ0ग0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल अंतर्गत पेंशन सेल का गठन किया जावेगा जिसमें एक निर्धारित राशि पेंशन निधि के रूप में रखी जावेगी, जिसे प्रतिवर्ष 10 प्रतिशत या आवश्यकता अनुसार राशि में वृद्धि की जा सकेगी।
3. योजना में उल्लेखित शर्तों/नियमों के अतिरिक्त यदि कोई विसंगति उत्पन्न होती है, उस स्थिति में निराकरण हेतु राज्य स्तरीय समिति का गठन किया जावेगा।

(ज) स्वीकृति का अधिकार :–

1. योजना के अंतर्गत स्वीकृति का अधिकार प्रदेश के समस्त श्रम कार्यालय के सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी/सहायक श्रम पदाधिकारी/ श्रम निरीक्षक/श्रम उप निरीक्षक को होगा।

(झ) भुगतान की प्रक्रिया :–

योजना के स्वीकृति पश्चात् पात्र हितग्राही के खाते में योजनांतर्गत प्रावधानित पेंशन की राशि प्रतिमाह छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल मुख्यालय/मैदानी जिला श्रम कार्यालयों द्वारा आर0टी0जी0एस0/ एन0ई0एफ0टी/डी0बी0टी0 के माध्यम से हस्तांतरित की जावेगी।

(ञ) विसंगति का निराकरण :–

योजना में उल्लेखित शर्तों/नियमों के अतिरिक्त यदि कोई विसंगति उत्पन्न होती है, तो उस स्थिति में सचिव, छ0ग0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल का निर्णय अंतिम होगा।

(ट) योजना का प्रभावशीलन :–

यह योजना अधिसूचना जारी दिनांक से संपूर्ण छत्तीसगढ़ प्रदेश में प्रभावशील होगा।

(छ.ग. शासन श्रम विभाग द्वारा अनुमोदित)

31/8/2023

(सविता मिश्रा)
सचिव
छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण
कर्मकार कल्याण मंडल, अटल नगर

निरंतर...5

पृ0क्रमांक / 98 / 04 / योजना / बीओसी / 2023 / 2680-2698 नवा रायपुर, दिनांक 31/08/23
प्रतिलिपि :–

1. अपर मुख्य सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, छ0ग0 शासन, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर (छ0ग0)।
2. उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, छ0ग0 शासन, मंत्रालय महानदी भवन नवा रायपुर, अटल नगर (छ0ग0)।
3. विशेष सहायक, माननीय श्रम मंत्रीजी, छ0ग0 शासन, श्रम विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर (छ0ग0)।
4. निज सहायक, माननीय अध्यक्ष, छ0ग0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल नवा रायपुर, अटल नगर (छ0ग0)।
5. निज सहायक, माननीय अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण मंडल, प्रवीण भवन 31 / 520, न्यू शांति नगर, रायपुर (छ0ग0)।
6. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर (छ0ग0)।
7. श्रमायुक्त, श्रमायुक्त कार्यालय, खण्ड–03, व्दितीय तल, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर (छ0ग0)।
8. प्रभारी अधिकारी, छ0ग0 असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल इन्द्रावती भवन, व्दितीय तल, खण्ड–03, नवा रायपुर, अटल नगर (छ0ग0)।
9. कल्याण आयुक्त, छ0ग0 श्रम कल्याण मंडल, प्रवीण भवन 31 / 520, न्यू शांति नगर, रायपुर (छ0ग0)।
10. संचालक, संचालनालय, कर्मचारी राज्य बीमा सेवायें इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर (छ0ग0)।
11. संचालक, संचालनालय, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर (छ0ग0)।
12. समस्त, जिला–कलेक्टर, ...(छ0ग0)।
13. समस्त, सहायक श्रमायुक्त / श्रम पदाधिकारी / सहायक श्रम पदाधिकारी कार्यालय ....(छ0ग0)।
14. समस्त, उप संचालक / सहायक संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा कार्यालय ....(छ0ग0)।
15. संचालक, जनसंपर्क संचालनालय, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर की ओर उपरोक्त अधिसूचना जन सामान्य के सूचनार्थ समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशन हेतु।
16. उप संचालक, शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, खैरागढ़ रोड़, राजनांदगांव (छ0ग0) की ओर आगामी राजपत्र में प्रकाशित किए जाने हेतु प्रेषित् कर लेख है कि कृपया प्रकाशित राजपत्र की 100 प्रतियां विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित्।
17. लेखा शाखा, छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल नवा रायपुर, अटल नगर, (छ0ग0)।

निरंतर..6

18. एन0आई0सी0 शाखा, छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल नवा रायपुर, अटल नगर (छ0ग0) की ओर **तत्काल** वेब साईट में अपलोड करने बाबत्।

19. गार्ड फाईल।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु संप्रेषित्।

21/8/2023

सचिव
छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण
कर्मकार कल्याण मंडल, अटल नगर